राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/2015पार्ट जयपुर दिनांक : 11 JUL 2018

आदेश

कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7 (1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अति पिछडा वर्ग (एम.बी.सी.) को शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों में 1 प्रतिशत आरक्षण देय किया गया है, जो निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों में उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है एवं अति पिछडा वर्ग के लिए उपरोक्त वर्णित आरक्षण के अनुसार अति पिछडा वर्ग को केवल 1 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जा रहा है।

इस संबंध में सभी विभागों को स्पष्ट रूप से व्यादिष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा फीस के अतिरिक्त आयु सीमा, अंकों में तथा शारीरिक दक्षता में बिना छूट प्राप्त किये जाने की स्थिति में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों में अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी का यदि वरीयता (Merit) में दाखिला होता है तो वह सामान्य वर्ग में माना जायेगा।

सामान्य वर्ग में दाखिला नहीं होने की स्थिति में सर्वप्रथम पिछडा वर्ग को देय 21 प्रतिशत आरक्षण में विचार किया जायेगा तत्पश्चात इन्हें अति पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित 1 प्रतिशत आरक्षण में विचार किया जायेगा। उक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चत करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर एं. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

36/2018

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/2015पार्ट जयपुर दिनांक : 11 JUL 2018

आदेश

कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7 (1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अति पिछडा वर्ग (एम.बी.सी.) को भर्तियों में 1 प्रतिशत आरक्षण देय है, जो निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर की जानी वाली भर्तियों में उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है एवं अति पिछडा वर्ग के लिए उपरोक्त वर्णित आरक्षण के अनुसार विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्तियों में अति पिछडा वर्ग को केवल 1 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जा रहा है, साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि उक्त वर्ग के अभ्यर्थी का वरीयता (Merit) कम में चयन होने पर गणना किस प्रकार/आधार पर की जानी है।

इस संबंध में सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से व्यादिष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा फीस के अतिरिक्त आयु सीमा, अंकों में तथा शारीरिक दक्षता में बिना छूट प्राप्त किये जाने की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्तियों में अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी का यदि वरीयता (Merit) में चयन होता है तो वह सामान्य रिक्ति के विरूद्ध चयनित माना जायेगा।

सामान्य वर्ग में चयन नहीं होने की स्थिति में सर्वप्रथम पिछडा वर्ग को देय 21 प्रतिशत आरक्षण में विचार किया जायेगा तत्पश्चात इन्हें अति पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित 1 प्रतिशत आरक्षण में विचार किया जायेगा। उक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चत करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

37/2018

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

विषयः– कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2017 के क्रम में विभिन्न भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के 1252 पदों के विरूद्ध कार्यग्रहण नही किये जाने से रिक्त रहे पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न पदों की भर्तियों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 09.05.2017 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति दिये जाने की अनुमति के क्रम में जिन अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति उपरान्त कार्यग्रहण नही किया गया है, उनके विरूद्ध प्रतीक्षा सूची से पदों को भरे जाने के संबंध में मा0 महाधिवक्ता, राजस्थान से विधिक राय प्राप्त की गयी (प्रति संलग्न)। उक्त विधिक राय का क्रियाशील भाग निम्नानुसार है :–

".....Accordingly, in view of the facts and circumstances as well as the settled proposition of law by the Hon'ble Supreme Court in case of Gujarat State Dy. Executive Engineers' Assn (Supra), I feel that the State Government can proceed further with appointment process of the remaining vacant seats of the SBC's out of total 1252. However, while doing so following steps are required to be taken:

i) The State Government while appointing the candidates for the remaining vacant posts from the waiting list should not exceed the total number of supernumerary post i.e. 1252 as recorded by the Supreme Court in the orders dated 9.5.17.

ii) In the appointment letter of these remaining vacant posts of SBC's, it should be specifically mentioned inter alia "that the present appointments so made shall not confer any right for appointment of permanent nature, in the eventuality that the Civil Appeal No.1464-66 of 2017 titled as "State of Rajasthan & Ors. Versus Captain Gurvinder Singh & Ors. Etc. Etc." are dismissed finally by the Hon'ble Supreme Court.

iii) The appointment must be strictly from waiting list of the concern department and is strictly based on merit.

iv) At appropriate stage, the complete details excercise conducted in pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court be placed before the Hon'ble Apex Court..."

अतः मा0 अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय की उक्त राय के अनुसार संलग्न सूची में आपके विभाग से संबंधित भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नही करने उपरान्त रिक्त पदों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की शर्तो की सुनिश्चितता करते हुए प्रतीक्षा सूची से भरे जाने की शीघ्र कार्यवाही कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव

अशा0 टीप सं0 प. 7(2)कार्मिक/क–2/15 पार्ट
जयपुर, दिनांक : 01.07.2018

38/2018